न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 141/2018

1 छाजुराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 45 साल
2 ओमप्रकाश सैनी पुत्र नानूराम उम्र 46 साल
जाति माली निवासीगण ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 भोपालराम पुत्र गुलाबी उम्र 80 साल
2 रामकुवार पुत्र गुलाबी उम्र 65 साल
3 लालचन्द पुत्र गुलाबी उम्र 50 साल
4 रोहिताश पुत्र गुलाबी उम्र 40 साल
समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम मानपुरा मु.पो. निमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 सुरजाराम पुत्र झुथाराम (फौत) जाति माली निवासी नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
5/1 सुमेर सिंह दत्तक पुत्र सुरजाराम निवासी नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
6 बचनाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 57 साल
7 इन्द्राज सैनी पुत्र नानूराम उम्र 60 साल जाति माली निवासी नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
8 शाखा प्रबंधक जरिये बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी।
9 शाखा प्रबंधक जरिये एसबीबीजे शाखा प्रबंधक गुढ़ागौड़जी।
10 शाखा प्रबंधक जरिये आईडीबीआई शाखा टोडी।
11 भूमिधारक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2018 पीठासीन अधिकारी श्री शिवपाल जाट आरएएस बउनवानी प्रकरण सुरजाराम बनाम छाजूराम आदि वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 120/2017

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 120/2017 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 ने एक वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाके ग्राम नेवरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में ना तो तनकियात कायम की गई और ना ही वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य सबूत लिये गये तथा ना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

ही वादी/रेस्पोडेन्ट के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्शीत हुए इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने बाला बाला कैम्प कोर्ट ग्राम नेवरी में प्रकरण का निस्तारण कर दिनांक 31.05.2018 को निर्णय एवं डिक्री पारित की जो खिलाफ कानून होने से अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने दावे के जवाब में अंकित किया है कि गुलाबी देवी के विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद वादी खारिज होने योग्य है तथाकथित निर्णय पारित करने से पूर्व मातहत ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का कोई ध्यान नहीं देकर नजर अंदाज किया गया है। इसलिए निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2018 कानून सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली को कैम्प कोर्ट ग्राम नेवरी में सुनवाई करने से पूर्व पक्षकारान को कैम्प कोर्ट नेवरी में सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया है अर्थात अपीलार्थीगण को बिना किसी सुनवाई सूचना के पारित किया गया निर्णय कानूनन अपास्त होने योग्य है। अपील जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में ना तो तनकियात कायम की गई और ना ही वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य सबूत लिये गये तथा ना ही वादी/रेस्पोडेन्ट के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्शीत हुए इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट ग्राम नेवरी में प्रकरण का निस्तारण कर दिनांक 31.05.2018 को निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

को कैम्प कोर्ट ग्राम नेवरी में सुनवाई करने से पूर्व पक्षकारान को कैम्प कोर्ट नेवरी में सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तनकीयात कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर